

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) पीठासीन

अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा सं०	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
365/2007	27.10.2007	12.04.2018


अनुवान

1. पतराम पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी जालपीवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0

:—वादी

बनाम

1. हरिपाल पुत्र सूरजो
2. कपिल पुत्र सूरजो
3. सरोज पुत्री सूरजो
4. कमलेश पुत्री सूरजो
5. शर्मिला पुत्री सूरजो जाति जाट निवासी प्राणपुरा तह0 बावल जिला रेवाड़ी हरि0
6. सुखराम पुत्र पतराम
7. हरिसिंह पुत्र पतराम जाति जाट निवासी जालपीवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0
8. महावीर पुत्र नवीरा सिंह
9. रामजीलाल पुत्र सिंहा
10. बनवारी पुत्र सिंहा
11. रूपचन्द पुत्र सिंहा जाति जाट निवासी जालपीवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0
11/1 श्रीमती भरपाई पत्नी सुमेर सिंह जाति जाट निवासी खोडा तह0 पटोदी जिला गुडगांवा हरि0
11/2 श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी रामवीर जाति जाट निवासी बडथल तह0 कापासेडा नई दिल्ली
12. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर
13. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय, मुण्डावर
14. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा ततारपुर तह0 मुण्डावर


उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) तह0

15. मैनेजर न्यू बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ततारपुर तह0 मुण्डावर

:—प्रतिवादीगण

दावा:—इश्तकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज, तकासमा
मय हु0 ई0 दवामी

—:: पर्चा डिक्री::—

दिनांक:— 12.04.2018

वादी की ओर से श्री गंगाराम पटेल एडवोकेट एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री जगन्नाथ यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.04.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

बहकवादी, बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 20/1.02, 21/1.11, 23/3.57, 24/0.56, 30/0.99, 31/2.33, 35/0.95, 43/0.92, 175/4.55, 176/0.34, 186/1.34, 203/0.19, 232/0.46 सालिम एवं आराजी खसरा नं0 32/3.12 है0, में 3/4 हिस्सा व खसरा नं0 15/2.59 है0, में 198/259 हिस्सा वाके ग्राम जालपीवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 के नाम हाल रिकार्ड में हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा दोराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा कराया गया बयनामा दिनांक 21.05.09 को शून्य करार दिया जाता है एवं उक्त बयनामे अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड में हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी के बाबत उनके नाम हो रहे अंकन की आड में विवादित आराजी को रहन, वय, आदि किसी भी प्रकार से दिगर जगह मुन्तकिल ना करे पाबन्द रहे। इसी अनुसार हाल रिकार्ड में वादी के नाम का अमल दरामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 12.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

12.04.2018
महेश चन्द्र मान
मुण्डावर उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)